कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः–व–15(57)आरपीए/जन/कम्प्यूटर/16/7307-22 दिनांकः– 11.07.18

खुली निविदा सूचना

इस संस्था में लगभग 162 कम्प्यूटर तथा 08 लेपटॉप स्थापित है जिनमें वायरस से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एन्टीवायरस सर्वर स्थापित किया हुआ है। जिसमें वर्तमान में 155 यूनिट हेतु Seqrite Endpoint Security-Total (EPS) स्थापित है जिनका नवीनीकरण तथा शेष 15 कम्प्यूटर/लेपटॉप हेतु नई यूनिट स्थापित करवाई जानी है। उक्त कार्य हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है :–

क्र.सं.	आईटम	अनुमानित राशि रू.	बयाना राशि रू.	निविदा फार्म मुल्य
1.	155- Seqrite Endpoint Security- Total (EPS) Renewal एवं 15 New Seqrite Endpoint Security- Total (EPS) for Antivirus Server with Manufacturers Authorization Certificate.	1.35 लाख	2700.00	200.00 रू0.

निविदा शर्तें:–

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय की सामान्य शाखा से निर्धारित शुल्क (बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 23.07.2018 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय की सामान्य शाखा में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक 23.07.2018 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिक्री कर प्रमाण पत्र, बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
5. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदा शर्तें जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी।
7. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. लेखा शाखा/प्रोग्रामर, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. प्रभारी कम्प्यूटर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी स्टोर/कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

11/07/18
निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

D:\f\WORK\COMPUTER\computer letter.doc

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः–व–15(57)आरपीए / जन / कम्प्यूटर / 16 / दिनांकः–

निविदा प्रारूप

(देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 23.07.2018 समय 01.00 बजे तक।
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 23.07.2018 सांयः 03.30 बजे ।

1. एन्टीवायरस सर्वर कम्प्यूटर्स में नवीनीकरण करवाने की दर अनुबन्ध हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवम् ड़ाक का पता...बोलीदाता का :– पैन नं. ....

   टिन नं. ....

   जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....

   Manufacturers Authorization Certificate Detail..................
3. किसको संबोधित की गयीः निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. संदर्भः–
5. निविदा फर्म की राशी रूपये 200 डीडी / बैंकर चैक संख्या ....दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.......................दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. निम्नलिखित मदों के प्रदाय के लिये दरें निम्न प्रकार हैः–

क्र सं.	आइटम का नाम	अनुमानित तादाद	दर (समस्त कर सहित)
1.	155- Seqrite Endpoint Security-Total (EPS) Renewal एवं 15 New Seqrite Endpoint Security- Total (EPS) for Antivirus Server with Manufacturers Authorization Certificate.	155 – Reneval 15 – New	

8. उपरोक्तानुसार सामग्री की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई अथवा बढाई जा सकती है।
9. उपरेाक्त दरें एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी। इसके आगे आपसी सहमति पर अवधि बढाई जा सकेगी।
10. बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक सं.....................दिनांक .... द्वारा / नकद रसीद संख्या .... दिनांक ....द्वारा राशी रूपये 6,750 /– बयाना राशी के पेटे जमा करवायी गयी है।
11. इसके साथ आयकर चूकती प्रमाण पत्र एवं टिन न., GST/Manufacturers Authorizations Certificate Detail के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस. आर.11 में सलंग्न है।
13. निविदा की अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट –ए पर अंकित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

D:\f\WORK\COMPUTER\computer letter.doc

खुली निविदा के लिए एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में लिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाऐं:—निविदायें सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जाएगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगें तथा उक्त सामग्री का व्यापार करने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभाग से प्राप्त अनुज्ञापन की प्रति संलग्न करेगें।

3 (i)फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) सविदा के सबंध मे फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज)होगा ।

4. जी.एस.टी. पंजीयन संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना हेागा। फर्म को अंतिम टी.सी.सी. शोधन प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटी या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्पलाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।

8. विधि मान्यताः— निविदाऐं उनके खोले जाने के दिनांक से 3 माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

9. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।

10. निरीक्षण (क)क्रेता अधिकारी या उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि ,सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसको बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों /उपकरणों /मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगा।

11. नमूनेः—अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप में से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएगें। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएगें। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद की जाएगी । यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है,तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवान चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए/ केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक वॉचर/पोलीथीन के थैलों में निविदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
12. प्रत्येक नमूने पर ,उस पर या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे। नमूना के अभाव में निविदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. नमूने निकालना :—परीक्षणें के मामले में निविदादाता भी उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाऐगें तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
14. परीक्षण प्रभारः— परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाऐगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रयार्य किया गया सामान विहित स्तरों या निनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।
15. रद्द करना :— निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुओं नमूने के अनुसार नहीं पाई जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जावेगा।
16. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
17. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी): निविदा के साथ निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। यह राशि **CDPSM,RPA,JAIPUR** के पक्ष में बैंक डिमाण्ड ड्राफ़्ट/ बैंकर्स चैक देय होगा।
18. बयाना राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।
    (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
    (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
    (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
19. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :—
    (अ) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदायें स्वीकार की गई हैं उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा कराना होगा।
    (2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
    (3) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी—
        (1) नकद/बैंक ड्राफ़्ट/बैंकर्स चैक
        (2) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।
        (3) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

(4) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार पदों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी किया जाता है तो वो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के नाम या गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

20. (1) प्रतिभूति विक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त किया जायेगा ।

(क) जन संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21. (1) सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार माल की सप्लाई का आदेश दिया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई आदेश की तारीख से 7 दिवस की अवधि में करनी होगी।

(2) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

22. परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत ।

(ख) एक चौथाई अवधि को अधिक किन्तु चिन्हित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक जमीन के लिए 7.5 प्रतिशत ।

(घ) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।

(ड.) यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ट) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. परिनिर्धारित क्षतियॉ कम सप्लाई, टूट फूट या रदद की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

24. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :– निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा माल की खरीद स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक , राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
28. वित्तीय बिड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।
30. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
31. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
32. बिड में अंकित दरें सभी प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है। जी.एस.टी. फर्म द्वारा ही वहन किया जावेगा।
33. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
34. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यान पूवर्क की जावें। अंकों एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंकों एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।
35. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
36. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
37. ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
38. निविदा प्रणाली RTPP Act.-2012, Rules-2013 के अनुसार होगी।
39. सफल फर्म को DEMONSTRATION के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है।
40. धरोहर राशिः–सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 5 प्रतिशत (जो कि 2 प्रतिशत अमानत राशि के अलावा देय होगी) अलग से धरोहर राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। अमानत राशि की रकम बाद में धरोहर राशि में समायोजित की जा सकती है।
41. जी.एस.टी.की दर प्रभावी होगी। फर्मो को पेन कार्ड की फोटो प्रति उपलब्ध करवानी होगी। मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।
42. ऑडिटोरियम में ए.सी.प्लान्ट वोल्टाज कम्पनी का होने के कारण उक्त कार्य हेतु वोल्टाज कम्पनी का अधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

एस.आर. प्रारूप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

परिशिष्ट–ए

Quote your rates for the immediate Renewal of 155 Licenses of Seqrite Endpoint Security – Total(EPS) (Server Already Installed) & New of 15 Licenses of Seqrite Endpoint Security – Total(EPS) to install in same Server, required for the use of this academy/institution. You quote your rates by full filling the following terms &conditions :-

1. The rates should be with installation charges.
2. Bidder should have MAF (Manufacture's Authorization Form) for this particular tender.
3. 24x7x365 onsite support on call/remote basis.
4. Preventive maintenance on quarterly basis will be done.
5. Bidder should have experience of supply Anti Virus Software (for servers) in Government sector. Work order should be submitted .
6. GST Registration number is mandatory, please mention.
7. No extra charges will be paid.

D:\f\WORK\COMPUTER\computer letter.doc